न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : (58/17) 96/19

-:: प्रार्थीया ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
1. खातुन बानो पुत्री निजाम जाति-तेली, मुसलमान निवासी-धनेरिया, तहसील-जैतारण।		1. अमीना पत्नि बाबु खां जाति-तेली मुसलमान निवासी-धनेरिया जैतारण, जिला-पाली। 2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 03/04/2017

उपस्थितः-

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक: 20/02/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा -धनेरिया पटवार हल्का-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण में सायला व अन्य हिस्सेदारों की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 96 रकबा 101-04 बीघा, की जमीन आई हुई है। जिसमें वक्त सेटलमेंट व उससे पूर्व 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार सायला के दादा परदादा रसूल वल्द उजीर जी थे। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सायला के बड़े पिता चांदीया वल्द रसूल जी के नाम से दर्ज थी। इस भूमि में सायला व उसकी भाबी अमीना बेवा बाबुजी का 1/8 वां हक हिस्सा एवं अधिकार है तथा इसी माफिक सायला काबिज होकर खातेदार काश्तकार है। शेष भूमि अन्य सह हिस्सेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा इस प्रार्थना पत्र में उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित वंशावली के माफिक निजाम पुत्र रसुल जी के एक पुत्र बाबुखां व पुत्री जायला है। बाबुखां की शादी होने के दो वर्ष बाद ही उसका देहान्त हो गया था बाबुखां के एक जायन्दा पुत्री हुई थी जो नाबालिग है एवं अमीना के साथ ही रह रही है। इस प्रकार से अमीना बाबु खां की विधवा है। सायला खातुन बानों व अमीना का इस वादग्रस्त भूमि में 1/8 वां हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादग्रस्त भूमि के वक्त सेटलमेंट के समय काबिज खातेदार रसूल वल्द उजलर जी थे, जो बाद में सायला के बड़े पिता चांदीया वल्द रसूल जी के नाम

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

से राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि दर्ज हुई थी। उक्त भूमि चांदीया वल्द रसूल जी के फौत होने पर उनके वारिसान हकीम गफार पिसरान चांदीया, रतनाई बेवा चांदीया, के नाम से दर्ज हुई थी। तत्पश्चात चांदीया के छोटे भाई निजाम व अहमद खां के वारिसान तथा गलकु खां जी ने माफिक अपने पुश्तैनी हक अधिकारों की घोषणा हेतु एक राजस्व वाद संख्या 65/03 अदालत हाजा में पेश किया था। जिसमें सायला को वाद पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा वादग्रस्त भूमि के बाबत वाद का निस्तारण किया गया जिसमें इस भूमि को पैतृक पुश्तैनी होना मानकर वाद डिक्री किया गया जिसके माफिक प्रतिसायला अमीना के नाम 1/8 वें हिस्से की भूमि दर्ज हुई थी। जबकि इस भूमि में बाबुखां स्वयं का हि 1/16 वां हिस्सा था। तथा शेष 1/16 वां हिस्सा सायला का था। केवल सायला को वाद पक्षकार नहीं बनाने की वजह से एवं उक्त वाद की सायला को जानकारी नहीं होने की वजह से भूमि अकेले अमीना के नाम से दर्ज हुई थी। जो कतई गलत है। न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के माफिक नामांतकरण संख्या 605 के जरिये भूमि गैरसायल अमीना व अन्य के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। जबकि उक्त भूमि सायला की पैतृक पुश्तैनी होने से सायला अपने खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। वादग्रस्त भूमि के अलावा सायला व गैरसायलान के बीच अन्य खसरा नंबर 121, 122, 123, 124 की भूमियां भी है। जिसमें सायला खातुन पुत्री निजाम खां का नाम अपने भाई की पत्नि अमीना के साथ बतौर खातेदार के दर्ज है। केवल वादग्रस्त भूमि के बाबत किये गये राजस्व प्रार्थना पत्र में सायला को वाद पक्षकार नहीं बनाने की वजह से भूमि सायला के नाम दर्ज नहीं हुई है। जबकि वादग्रस्त भूमि सायला की पैतृक पुश्तैनी है। एवं उक्त भूमि अकेली गैरसायलान अमीना के नाम गलत दर्ज है। जो काबिल दुरस्ती के है इस प्रकार से खातुन का नाम भी अमीना बेवा बाबु खां के नाम के साथ बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया जाना व इस आशय कि घोषणा की जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि के 1/16 हिस्से की भूमि सायला की पैतृक व पुश्तैनी है, जिसमें से सायला खातुन एवं गैरसायलान अमीना के सामलाती ही 1/8 वें हिस्से की इस वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व हक व अधिकार चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि गैरसायलान अमीना अकेली के नाम दर्ज होने की वजह से उक्त भूमि गैरसायलान अमीना अकेली के नाम दर्ज होने की वजह से उक्त अमीना अब सायला की बिना सहमति के अपनी मनमर्जी से वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को जरिये रहन बेचान वसीयत के अजनबी केता को अन्य हस्तान्तरण करने व सायला को इस भूमि से बेकाबिज करने को आमादा है। तथा दिनांक 22.03.2017 को गैरसायलान ने गांव में अजनबी केता से इस भूमि का बेचान का सौदा करने की बात भी की है जो सायला एवं परिवार

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

वालों की समझाईश के बावजूद भी गैरसायलान अमीना नहीं मान रही है इस प्रकार से यदि गैरसायलान ऐसा दृष्कृत्य करने में सफल हुई तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। व सायला गैरसायलान को ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। जिसेसे मौके पर विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी तब ऐसी समस्त परिस्थितियों में सायला के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायला का प्रथमदृष्टितया मामला बखूबी सायला के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायला के हक हिस्से की भूमि में दखलंदाजी व हस्तक्षेप बाधा व अड़चन पैदा करते है या उक्त भूमि को जबरदस्ती रहन, बेचान व अन्य हस्तांतरण कर देते है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकता है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायला के पक्ष में प्रनाणित है।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि ग्राम धनेरिया पटवार हल्का केकिन्दड़ा तहसील–जैतारण में खसरा नबर 96 रकबा 101.04 बीघा की जमीन आई हुई, जो पूर्व में चांदीया वल्द रसूल जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी बाकी तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने गलत, अपूर्ण व मिथ्या सिजरा खानदान पेश किया है। इस पेरे में लिखे तथ्य इस हद तक तो सही है कि अप्रार्थीगया जवाब देहिन्दा बाबुखां की बेवा है तथा बाबू खां के एक जायन्दा पुत्री हुई थी जो वर्तमान में बालिग है तथा जवाबदेहिन्दा के साथ ही रह रही है। बाकि तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वक्त सेटलमेन्ट के समय काबिज खातेदार रसूल वल्द उजीर जी थे जो बाद में चांदीया वल्द रसूल जी के नाम दर्ज हुई थी, उक्त भूमि चांदीया वल्द रसूल जी के फौत होने पर उनके वारिसान हकीम, गफार पिसरान चांदीया, रतनाई बेवा चांदिया के नाम दर्ज हुई थी तत्पश्चात चांदीया के छोटे भाई निजाम व अहमद खां के वारिसान तथा गलकूखां जी के माफिक अपने पुश्तैनी हक अधिकारों की घोषणा हेतु एक राजस्व वाद संख्या 65/03 अदालतहाजा में पेश किया था, जिसका निस्तारण किया गया जिसमें इस भूमि को पैतृक, पुश्तैनी होना मानकर वादपत्र डिक्री किया गया, जिसके माफिक जवाब देहिन्दा आमीना के नाम 1/8 वें हिस्से की भूमि में दर्ज हुई थी, न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के माफिक नामान्तकरण संख्या 605 के जरिये भूमि जवाब देहिन्दा आमीना व अन्य के नाम राजस्व

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

रेकर्ड में दर्ज हुई थी। प्रथमदृष्टिया मामला अप्रार्थीनी जवाब देहिन्दा के पक्ष में है। व सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीनी के पक्ष में है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीनी को होगी, सो प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र गलत व झूठे तथ्यों के आधारित होने से काबिल खारिज के है, सो खारिज फरमाया जावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

हमनें विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों 2013 (2) RRT PAGE 828, 2015 (1) RRT PAGE 633, 2009 (2) RRT 1327, 2009 (2) RRT 1393, 2009 (2) RRT 1398 का अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में उपयोग किया हमनें प्रार्थना पत्र प्रार्थीया, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया, उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदिया, नामान्तकरण का अध्ययन किया। प्रार्थीया और अप्रार्थीया दोनों के कथनों से स्पष्ट है कि राजस्व मौजा–धनेरिया, पटवार हल्का–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण के खसरा संख्या 96 रकबा 101–4 बिस्वा रसूल वल्द उजीरा (1/2 हिस्सा) की पैतृक पुश्तैनी आराजी है प्रार्थीया और अप्रार्थीया दोनों ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त खसरे में 1/2 भाग पर काबिज रसूल के फौत हो जाने पर चांदीया वल्द रसूल के नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज हो गयी थी। तथा चांदीया वल्द रसूल के फौत होने पर उनके वारिसान हकीम, गफार पिसरान चांदीया एवं रतनाई बेवा चांदीया के नाम दर्ज हो गयी थी। उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में चांदीया के भाई निजाम तथा अहमद के वारिसानों व चांदीया के भाई गलकू खां द्वारा इस आराजी में खातेदारी घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में लाया गया। वाद संख्या 65/2003 के निर्णयानुसार हाजा न्यायालय ने उक्त आराजी को निजाम तथा अहमद के वारिसानों तथा गलकू खां के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की। इस तथ्य को को प्रार्थीया और अप्रार्थीया दोनों ने स्वीकार किया है। तथा उक्त वाद 65/03 के निर्णयानुसार नामांतरण संख्या 605 से रसूल के अन्य वारिसानों का नाम जमाबंदी में दर्ज किया गया। उक्त आराजी में निजाम वल्द रसूल का 1/8 वां हिस्सा आता है जो उसके वारिस अमीना के नाम दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सजरा के अनुसार प्रार्थीया निजाम की पुत्री है। तथा प्रार्थीया को वाद संख्या 65/03 में पक्षकार नहीं बनाया गया। ग्राम–धनेरिया, पटवार हल्का–केकिन्दड़ा, तहसील–जैतारण के खसरा संख्या 121, 122, 123, 124 की नवीन जमाबंदी संवत् 2070–2073 में निजाम के वारिस के रूप में प्रार्थीया के नाम प्रविष्टि अंकित है। जबकि प्रार्थीया का नाम खसरा संख्या 96 रकबा 101–04 में निजाम के वारिस के रूप में दर्ज नहीं है।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं:–

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

1– प्रथमदृष्ट्या मामला :– इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथमदृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथमदृष्टतया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथपत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने निजाम के वारिस के तौर पर खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। अप्रार्थीया ने इसे सजरा में वारिस होना अस्वीकार किया है। विवादित आराजी खसरा संख्या 96 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए प्रार्थीया का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। अधिवक्ता अप्रार्थीया दौराने बहस कथन किया कि मुस्लिम विधि में पुत्रियों को पिता की आराजी में कोई हक देय नहीं होता है तथा मुस्लिम विधि में पैतृक–पुश्तैनी आराजी जैसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अप्रार्थीया द्वारा इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। यह भी विचारणीय है कि इसी ग्राम के खसरों 121, 122, 123, 124 की नवीन जमाबंदी में निजाम के वारिस के रूप में प्रार्थीया का नाम दर्ज है। हमारा यह विनम्र अभिमत है कि मुस्लिम विधि में पुत्रियों को पिता की आराजी में हक है या नहीं, यह साक्ष्य का विषय है तथा अप्रार्थीया को इस बाबत् अपना पक्ष रखने के लिए मूल वाद में साक्ष्य परीक्षण के दौरान पर्याप्त अवसर मिलेगा। अतः प्रथमदृष्टतया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/वादीया के पक्ष में बखूबी साबित होता है। तथा अप्रार्थीया इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है।

2– सुविधा का संतुलन :– अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा के संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादीया/प्रार्थीया को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

खसरा संख्या 96 के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व निर्णीत निर्णय वाद संख्या 65/03 में वादिया/प्रार्थीया बतौर पक्षकार संयोजित नहीं रही है इसलिए इसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला तथा अन्य खसरों यथा 121, 122, 123, 124 की पैतृक पुश्तैनी आराजी में वादिया/प्रार्थीया का नाम नवीन जमाबंदी संवत 2070/2073 में अंकित है। साथ इस बाबत् अप्रार्थीया/प्रतिवादिया ने यह प्रस्तुत नहीं किया कि उक्त आराजी पैतृक पुश्तैनी नहीं है। चूंकि प्रथमदृष्टतया मामला भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथपत्रों/दस्तावेजों तथा प्रथमदृष्टतया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में और अप्रार्थीया/प्रतिवादिया के खिलाफ साबित होता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

3- **अपूरणीय क्षति :-** उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथमदृष्टतया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीया के पक्ष में बखुबी साबित हुए हैं चूंकि प्रार्थीया/वादिया ने उक्त खसरे में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है यदि उक्त प्रकरण में वादिया को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीया/वादिया द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से वादिया को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादिया/प्रार्थीया के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भलीभांती साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे ग्राम– धनेरिया, पटवार हल्का– केकिन्दड़ा, तहसील– जैतारण, जिला–पाली के खसरा संख्या 96 रकबा 101–04 बीघा किस्म – बारानी अव्वल की आराजी के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,जैतारण
जिला–पाली (राज.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

निर्णय आज दिनॉक 20/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,जैतारण
जिला–पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.02.24 19:30:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: